रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		57.18	25.54	82.72	39.80	325.54	365.34	62.00	686.78	748.78
पूंजी		*20.20*	*21.47*	*41.67*	*20.20*	*21.46*	*41.66*	*21.00*	*143.47*	*164.47*
जोड़		**77.38**	**47.01**	**124.39**	**60.00**	**347.00**	**407.00**	**83.00**	**830.25**	**913.25**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.01	6.64	6.65	0.01	6.64	6.65	0.05	7.14	7.19
उद्योग										
पैट्रो-रसायन उद्योग										
2. सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिग एंड टेक्नोलाजी (सीआईपीईटी)	2852	34.92	3.38	38.30	16.25	3.38	19.63	45.92	3.38	49.30
3. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	2852	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	...	0.01	0.01
रासायनिक और भेषज उद्योग										
4. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	2852	...	5.11	5.11	...	305.11	305.11	...	663.71	663.71
5. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	5.73	...	5.73	5.73	...	5.73	3.33	...	3.33
6. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान	2852	3.35	7.11	10.46	3.35	7.11	10.46	3.10	8.90	12.00
7. रासायनिक अस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	2852	0.05	0.03	0.08	0.05	0.03	0.08	0.05	0.03	0.08
8. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	...	3.23	3.23	...	3.23	3.23	...	3.56	3.56
9. भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस)	2852	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.05	0.05
10. भेषज अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (पीआरडीपी)	2852	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	0.25	...	0.25
11. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2852	3.40	...	3.40	3.40	...	3.40	1.00	...	1.00
जोड़ - उद्योग		**52.46**	**18.90**	**71.36**	**33.79**	**318.90**	**352.69**	**53.65**	**679.64**	**733.29**
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिये एकमुश्त प्रावधान	2552	4.71	...	4.71	6.00	...	6.00	8.30	...	8.30
13. लोक उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण										
13.01 स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	3.09	3.09
13.02 बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	10.00	10.00
13.03 बंगाल इम्युनिटी लि.	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	1.69	1.69
13.04 ईडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	6857	...	14.26	14.26	...	14.25	14.25	...	14.20	14.20
13.05 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि. (पी.सी.एल)	6856	...	0.51	0.51	...	0.51	0.51	...	1.49	1.49
13.06 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल.)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	53.00	53.00
13.07 हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.)	6857	...	6.66	6.66	...	6.66	6.66	...	60.00	60.00
	जोड़	...	*21.47*	*21.47*	...	*21.46*	*21.46*	...	*143.47*	*143.47*
14. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6857	20.20	...	20.20	20.20	...	20.20	21.00	...	21.00
कुल जोड़		***77.38***	***47.01***	***124.39***	***60.00***	***347.00***	***407.00***	***83.00***	***830.25***	***913.25***

सं.7/रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

(करोड़ रुपए)

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2004-2005 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	संशोधित 2004-2005 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट 2005-2006 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
पेट्रो-रसायन उद्योग										
अन्य निकाय/संस्थाएं										
(सीआईपीईटी, असम)	12856	34.93	6.40	41.33	16.26	...	16.26	45.92	...	45.92
रसायन तथा भेषज उद्योग										
14.01 हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लि.	12857	7.19	...	7.19	7.19	...	7.19	7.00	...	7.00
14.02 हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लि.	12857	5.57	...	5.57	5.57	...	5.57	6.00	...	6.00
14.03 इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
14.04 हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि.	12857	2.77	...	2.77	2.77	...	2.77	3.00	...	3.00
14.05 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	4.64	7.00	11.64	4.64	...	4.64	5.00	20.00	25.00
14.06 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
14.07 बंगाल इम्यूनिटी लि.	12857	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
14.08 एन.आई.पी.ई.आर	12857	3.35	4.40	7.75	3.35	...	3.35	3.10	3.10	6.20
अन्य निकाय/संस्थाएं (आईपीएफटी, पीआरडीपी, सीपीडीएस)	12857	14.13	...	14.13	14.13	...	14.13	4.58	...	4.58
जोड़-रसायन तथा भेषज उद्योग		**37.68**	**11.40**	**49.08**	**37.68**	**...**	**37.68**	**28.68**	**23.10**	**51.78**
जोड़		**72.61**	**17.80**	**90.41**	**53.94**	**...**	**53.94**	**74.60**	**23.10**	**97.70**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. पेट्रो रसायन उद्योग	12856	34.93	6.40	41.33	16.26	...	16.26	45.92	...	45.92
2. रसायन और भेषज उद्योग	12857	37.73	11.40	49.13	37.73	...	37.73	28.73	23.10	51.83
3. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.05	...	0.05
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	4.71	...	4.71	6.00	...	6.00	8.30	...	8.30
जोड़		**77.38**	**17.80**	**95.18**	**60.00**	**...**	**60.00**	**83.00**	**23.10**	**106.10**

1. **सचिवालयः** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी.):** केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना विशिष्ट प्रशिक्षण देने तथा प्लास्टिक सामग्री का भौतिक परीक्षण के लिये की गई थी। अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, हल्दिया, इंफाल, लखनऊ, मैसूर, पटना और गुवाहाटी में 12 विस्तार केन्द्रों की स्थापना की गई है। इस प्रावधान में राजस्थान (जयपुर), हरियाणा (गुड़गांव) तथा महाराष्ट्र में तीन नए केन्द्रों की स्थापना हेतु संस्थान तथा आयोजना निधियों की आधारभूत निधियों के लिए आयोजना सहायता शामिल है।

4. **भोपाल गैस रिसाव आपदाः** इस व्यवस्था में कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय तथा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के मामलों का निर्णय करने के लिए स्थापित विभिन्न न्यायालयों के सचिवालय व्यय शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 26.10.2004 के निर्णय में भोपाल गैस आपदा के सभी पीड़ितों को के दावों का 31 अप्रैल, 2005 तक अन्तिम रूप से निपटान करने हेतु निर्देश दिया और इस सम्बन्ध में कार्य योजना स्वीकार की। चालू बजट में सभी दावों के अन्तिम निपटान के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अमरीकी डालर में प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि से विदेशी मुद्रा हानि के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.पी.एफ.टी.):** यह संस्थान पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों के निर्माण संबंधी विकास में लगी है जो कि किसानों की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह संस्थान देश में कीटनाशक उद्योग की उन्नति के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

6. **राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एन.आई.पी.ई.आर):** यह परियोजना चंडीगढ़ के समीप एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में स्थापित की गई है। इस संस्थान का प्रयास भारत में भेषजीय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता को बढ़ावा देना और भारत में भेषजीय क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस प्रावधान में भेषजीय अनुसंधान क्षेत्र में संस्थान की चल रही योजनाओं के लिए दैनिक व्यय तथा आयोजना सहायता हेतु आयोजना भिन्न सहायता के लिए निधियों की व्यवस्था करना है।

7. **रासायनिक शस्त्र अभिसमय (सी.डब्ल्यू.सी.):** भारत रासायनिक शस्त्र अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले आरंभिक देशों में से एक है। अभिसमय के दायित्व को निभाने के लिए भारत में राष्ट्रीय प्राधिकरण नामक एक केन्द्रक अभिकरण स्थापित किया गया है। यह अभिकरण एककों का प्रयोग निरीक्षण, दोहरे प्रयोजनों वाले रासायनिक उद्योगों की गतिविधियों के अनुवीक्षण, उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था और रासायनिक शस्त्र अभिसमय के कार्यान्वयन में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन की मदद करता है।

8. **राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.):** वर्ष 1994 में घोषित नई औषधि नीति के एक भाग के रूप में, विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय गठित किया गया है, जो औषधि और फार्मूलेशन के मूल्य निर्धारण/संशोधन और अन्य संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह विनियंत्रित औषधियों और फार्मूलेशन की कीमतों का अनुवीक्षण और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों के कार्यान्वयन का निरीक्षण भी करता है।

9. **भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पी.ई.पी.एस.):** औषधीय क्षेत्र भारत के औद्योगिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील क्षेत्र है। यह अनुदान निर्यात संवर्धन कक्ष द्वारा औषधियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के लिए है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है।

10. **भेषज अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम (पी.आर.डी.पी.)ः** आगामी उत्पाद पेटेंट व्यवस्था के कारण भारतीय औषधि उद्योग को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग भारत में औषधीय अनुसंधान के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाए।

11. **रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सी.पी.डी.एस)ः** भारतीय रसायन उद्योग को उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण पैदा हुई विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने और इसे विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के अनुरूप बनाने के लिए ताकि यह विश्वव्यापी बाजार में बहुराष्ट्रीय एवं अन्य बड़ी-बड़ी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सके, इस विभाग के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह निर्यात संवर्द्धन एवं प्रौद्योगिकी सहयोग आदि के लिए विभिन्न विचार-गोष्ठियों, कार्यशालाओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान।** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान है।

13. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋणः** ये सरकारी उद्यमों को दिए गए ऋण के द्योतक है।

14. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेशः** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनकी नई और पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है। इन उद्यमों तथा आईईबीआर के सम्बंध में बजटीय सहायता की इक्विटी तथा ऋणवार ब्यौरा व्यय बजट खंड-1 में दिया गया है।

14.01 **हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेडः** इस कम्पनी का निगमन औषधियों, रंजक पदार्थों, रबड़ रासायनिक पदार्थो और लेमीनेट आदि के विनिर्माण के लिए आवश्यक रासायनिक मध्यवर्तियों का विनिर्माण करने के उद्देश्य से 1960 में किया गया था। इस प्रावधान में संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन पर होने वाला व्यय शामिल है।

14.02 **हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेडः** यह कम्पनी 1954 में निगमित की गई थी और डी. डी. टी., मेलाथियान और एण्डोसल्फेन टेक तैयार करने के लिए इसके तीन कारखाने चल रहे हैं। इन उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम में किया जाता है। इस प्रावधान में संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन पर होने वाला व्यय शामिल है।

14.04 **हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेडः** इस कम्पनी का निगमन देश में जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण तथा ऐसी दवाओं के आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1954 में किया गया था। इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मणिपुर में तीन परियोजनाएं हैं। इस प्रावधान में कम्पनी की पुनः बहाली योजना पर होने वाला व्यय शामिल है और आयोजना व्यय में संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन व्यय को शामिल किया गया है।

14.05 **बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)ः** इस कंपनी की चार विनिर्माण इकाईयां हैं जो कोलकाता में मनिकतला, 24 परगना (उत्तर) पं.बंगाल में पनिहती, मुंबई तथा कानपुर (उ.प्र.) में स्थित है। यह कंपनी सौदर्य प्रसाधन तथा घरेलू उत्पादों के अलावा कई श्रेणियों के औद्योगिक रसायन, सल्फ्यूरिक एसिड, फैरिक एलम, कई दवाएं तथा फार्मास्यूटिकल्स का विनिर्माण तथा विपणन करती है। इस आयोजना प्रावधान में संयंत्र तथा मशीनरी हेतु मरम्मत तथा प्रतिस्थापन व्यय शामिल है।

Website: http://indiabudget.nic.in